संख्या-148/आई/1425322/2026/89-1099/209/2025

प्रेषक,

मनोज वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
उ0प्र0 कौशल विकास मिशन,
अलीगंज, लखनऊ।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग लखनऊः दिनांकः 07 अगस्त, 2026

विषय- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY 2.0) के अन्तर्गत SNA SPARSH प्रणाली से भुगतान की कार्यवाही हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-22044/उ0प्र0कौ0वि0मि0/लेखा-प्रकोष्ठ/2026-27 दिनांक 24.07.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY 2.0) ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के अन्तर्गत आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित की जाती है। अत: "दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना" के आहरण एवं वितरण हेतु प्रश्नगत योजना के आहरण एवं वितरण का कार्य आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत पूर्व से नामित आहरण एवं वितरण अधिकारी (जिन्हें पहले से ही डी.डी.ओ. कोड आवंटित है) के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव,
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव,ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ ।
4. समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
7. साईबर ट्रेजरी, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ शाखा, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, आयुक्त ग्राम्य विकास/ उ0प्र0 कौशल विकास मिशन, अलीगंज लखनऊ।
9. आहरण एवं विततरण अधिकारी, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/11 ।
12. ग्राम्य विकास अनुभाग-5 ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।